

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - 3, चतुर्थ तल, 12 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001
फोन नं : 0522-2205100

संदर्भ: PGCIL/A/E/21/00041

दिनांक : 13.10.2021

प्रार्थी का नाम: श्री अशोक कुमार
220/132 के वी सब-स्टेशन,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
मोस्तामनु चंडक, पिथोरागढ़
उत्तराखंड
मो० 8299 500 936

अपील पत्र दिनांक: 16.09.2021

लोक प्राधिकारी: पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - 3, लखनऊ

उपस्थित: उत्तरदायी
श्री राणा प्रताप,
महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम.) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ., उ. क्षे.-3
पावरग्रिड, लखनऊ

आदेश

अपीलीय अधिकारी, उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - 3, पावरग्रिड द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री अशोक कुमार से ऑनलाइन पत्र दिनांक 16.09.2021 द्वारा अपील प्राप्त की गयी है जो कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी से अपने आवेदन क्रमांक PGCIL/R/E/21/00341 दिनांक 08.08.2021 में मांगी गयी सूचना के निमित्त है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2021 के क्रम में जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की समीक्षा की गई एवं सी०पी०आई०ओ० के विचार को सुना गया। सी०पी०आई०ओ० ने प्रत्युत्तर में बताया कि अपीलार्थी ने किसी विशेष जानकारी की मांग न कर, पूर्व में दी गई जानकारी के सन्दर्भ में असंतुष्टि प्रकट की है एवं सम्बन्धित विभाग के पास इस सन्दर्भ में पूर्व में दी गयी जानकारी के अलावा अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

समीक्षा में यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सी.पी.आई.ओ. के पत्र दिनांक 08.09.2021 द्वारा प्रदान कर दी गई है।

अतः अपील को खारिज किया जाता है।



[श्री आर०नागपाल]

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, 12 राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ - 226001, उ. प्र.

प्रतिलिपि: श्री राणा प्रताप, महाप्रबन्धक (पी.ई.एस.एम.) एवं पदांकित सी.पी.आई.ओ., उ.क्षे.-3, लखनऊ